"प्रशासन गांवों के संग अभियान:- 2023"

प्रतिवेदन पटवारी हल्का:- बागरियावास

श्रीमान जी,

मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड ग्राम नावलाई के खाता सं. 179 में प्रार्थी का नाम प्रभाती देवी पत्नि नारायण दर्ज है जबकि अन्य दस्तावेजों यथा आधार और जनआधार में प्रभु देवी पत्नि नारायण अंकित है। अतः खाता सं. 179 ग्राम नावलाई में प्रभु देवी पत्नि नारायण किया जाना उचित है।

हस्ताक्षर पटवारी

जांच प्रतिवेदन भू- अभिलेख निरिक्षक वृत:- भूअ

श्रीमान जी,

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पु० पत्र प्रस्तुत दस्तावेज यथा आधार कार्ड, जनाधार कार्ड तथा हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का नाम ग्राम नावलाई के खाता सं. 179 में प्रभाती देवी पत्नी नारायण के स्थान पर प्रभु देवी पत्नी नारायण जाति ब्राह्मण शुद्ध किया जाना उचित है।

UR-15
29/05/23

29/05/2023

हस्ताक्षर भू-अभिलेख निरिक्षक

जांच प्रतिवेदन तहसीलदार (भू- अभिलेख), श्रीमाधोपुर

श्रीमान जी,

मुताबिक रिपोर्ट पटवार हल्का एवं भू० अ० नि० जाँच में ग्राम नावलाई के खाता सं. 179 में खातेदार का नाम प्रभाती देवी पत्नि नारायण अशुद्ध दर्ज है। मुताबिक पटवारी रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजों के आधार पर खातेदार का नाम प्रभु देवी पत्नि नारायण जाति ब्राह्मण दुरुस्त किया जाना उचित है।

तहसीलदार (भू.अ.)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

हस्ताक्षर तहसीलदार
श्रीमाधोपुर

आदेश (शिविर स्थान:- बागरियावास, दिनांक:- 30.5.2023)

रिपोर्ट पटवारी व भू० अ० नि० एवं दस्तावेज एवं तहसीलदार की अभिशंसा के आधार पर ग्राम नावलाई के खाता सं. 179 में दर्ज खातेदार प्रभाती देवी पत्नि नारायण के स्थान पर प्रभु देवी पत्नि नारायण दर्ज करने की स्वीकृति दी जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.15 16:02:56 IST
Reason: SelfAttested

शिविर प्रभारी अधिकारी
प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2023
उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर
पंचायत समिति श्रीमाधोपुर